

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-214/2017/1445/22-2-2016-17(116)/2010
लखनऊ: दिनांक: 21 मार्च, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ के सिद्धदोष बन्दी शिवनारायन (बन्दी संख्या-26589) पुत्र श्री मखलू, निवासी-चकरपुर, थाना-सचेन्डी, जिला-कानपुर नगर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-107/1978 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की धारा-302/34 के अधीन दिनांक 19-02-1979 को मा0 अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, कानपुर द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-214/2017/1445(1)/22-2-2016 - तदिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्य, 30प्र0, लखनऊ।
- 2-जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
- 3-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।
- 4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
- 5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6-गाई फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।